समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू-अर्जन प्रशाखा)

परियोजना – डी0एम0सी0एच0 के टी0बी0डी0सी0 से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का धारा–6(1) के तहत प्रकाशन।

परियोजना – दरभंगा जिला अन्तर्गत डी0एम0सी0एच0 के टी0बी0डी0सी0 से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ भू–अर्जन करने का प्रस्ताव इसके अधियाची विभाग, कार्यपालक अभियंता, जल निसरण प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त हुआ। इस प्रस्तावित भूमि का अर्जन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT-2013) के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

उक्त अधिनियम के धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन बिहार सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान आद्री, पटना के माध्यम से कराया गया, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है।

उक्त अधिनियम के धारा–6(1) के तहत उक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के निष्कर्ष को सारांश रूप में अर्जनाधीन क्षेत्र में तथा अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया जाना है। तदालोक में उक्त अंतिम प्रतिवेदन का निम्नांकित सारांश प्रकाशित किया जाता है।

सारांश :–

प्रस्तावित परियोजना का निर्माण अंचल बहादुरपुर के रसूलपुर कलां गॉव में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित 1.3835 एकड़ जमीन का चिन्हित किया गया तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्यन किया गया। अधिग्रहण वाले भूखंड लगभग 17 जमीन मालिकों के हैं जिनमें से सारे कृशितर भूखंड है। परियोजना चलने के कारण कुल मिलाकर 28 भूखंड प्रभावित होने वाले हैं। 17 परिवारों में से 2 परिवार अर्थात 11.8 प्रति ात की आय का मुख्य श्रोत कृशि और 9 परिवार अर्थात 52.9 प्रतिशत का व्यापार–वाणिज्य है जबकि 4 परिवार अर्थात 23.5 प्रतिशत परिवार आधुनिक सेवा पर और 01 परिवार अर्थात 5.9 प्रतिशत पारंपरिक सेवा पर निर्भर हैं। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्यन में पता चला कि कुल मिलाकर 13 (77.0 प्रतिशत) परिवार की आय 50000 रूपये से कम है। इसी प्रकार 03 परिवारों की आय 50000 से 1 लाख रूपये के बीच है और 01 परिवार की आय 1 लाख से 2 लाख रूपये के बीच है। परियोजना के कारण एक परिवार का मकान प्रभावित होने की आशंका है। सभी 17 जमीन मालिकों ने जमीन के बदले नगद मुआवजा राशि लेना पसंद करते हैं। भाहरी क्षेत्र में जमीन पड़ने कारण परियोजना क्षेत्र की जमीन महंगी है। अधिग्रहण से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे भाहरी जमीन से बंचित हो जायेगें। अधिग्रहण वाले भूखंडों की सूची अद्यतन नहीं होने की सूचना है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। गांव में अच्छी–खासी संख्या में जमीन मालिक आम तौर पर परियोजना के खासकर अपर्याप्त मुआवजा की आशंका और स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी जोखिमों आदि के भय से खिलाफ हैं। प्रभावित परिवारों ने सामान्यतः बताया कि वे अपनी बहुमूल्य जमीन से बंचित हो जायेंगे लेकिन परियोजना पूर्ण होने पर इससे चिकित्सीय अपशिष्ट के उचित निपटान के कारण क्षेत्र को साफ–सुथरा रखने में मदद मिलेगी। क्षेत्र के लोगों के लिए जीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की उपलब्धता आसान हो जाएगी। कुछ को छोड़कर भोश जमीन मालिक परियोजना के लिए अपनी जमीन देना चाहते हैं बशर्ते कि उन्हें जमीन की गुणवत्ता और अवस्थिति के अनुरूप तत्काल और पर्याप्त मुआवजा मिले। क्षेत्र के लोग महसूस करते है कि नाला से क्षेत्र की सफाई बढ़ेगी और क्षेत्र के लिहाज से अधिक उपयुक्त हो जाएगा। परियोजना पूरी होने पर जमीन की कीमत कईगुणा बढ़ेगी। नाला के निर्माण के कारण कचरा निपटान की गुणवत्ता बेहतर होने से ईलाज के लिए दरभंगा मेडिकल अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों और उनके रिश्तेदारों की पहुंच और आवागमन में सुधार होगा तथा प्रदूशणमुक्त और साफ होगा। इस स्थान पर रोगियों का आना अब अधिक सुरक्षित होगा। उन्नत अपशिष्ट निपटान व्यवस्था के कारण क्षेत्र में

रहने वाले लोंगो को उन्नत और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध होगा। नाला निर्माण के फलस्वरूप बेहतर आववगमन और पहुंच के कारण सभी जमीन मालिकों को अधिक लाभ होगा। जमीन की कीमत और बढ़ेगी जो उनके सौभाग्य की बात है क्योंकि इलाज, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि जरूरतों पर वे काफी बेहतर कीमत पर जमीन बेच सकेंगे। जमीन मालिकों का प्रस्ताव था कि जिला प्रशासन/जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी/अंचल अधिकारी को गांव में आकर जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए और भुगतान सीधे उन्हीं को करना चाहिए। सारा भुगतान शिविर में वितरण किऐ जाने वाले एकाउंट पेयी चेकों के माध्यम से करना चाहिए।

" Right to Fair Compersation and Transparency in Level Acquisition, Rehabilitation and Resettelement Act, 2013" **(पुनर्वासन औगर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013)** के अनुसार होना चाहिए।

उक्त प्रस्तावित नाला मौजा–रसूलपुर कलां, थाना नं0–493 से रकवा–1.3835 एकड़. जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

निष्कर्ष :–

1. नाला निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण सामान्यतः सार्वजनिक प्रयोजन को पूरा करता है और अधिग्रहण के लिए जितनी जमीन प्रस्तावित है, वह परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।
2. परियोजना के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर कोई विरोध या प्रतिरोध की भावना नहीं है। परियोजना से प्रभावित गाँव में प्रभावित परिवारों की उससे सहमति है और वे परियोजना के लिए जमीन देने के लिए इच्छुक है।
3. प्रभावित परिवार पुष्टि करते है कि परियोजना से उन्हें अपनी समग्र पहुँच सुधारने में मदद मिलेगी, जीविका के अवसर बढ़ेंगे और खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षा की उपलब्धता में सुधार होगा।
4. 17 वैध जमीन मालिकों की जमीन जा रही है। जिन परिवारों की जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है, उनमें से लगभग सभी को जमीन के बदले नगद मुआवजा लेना पसंद है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उनके गाँव में या अपने रिश्तेदारों और भूखंडों के समीप जमीन नहीं दी जा सकती है।
5. नाला के निर्माण के कारण कचरा निपटान की गुणवत्ता बेहतर होने से ईलाज के लिए दरभंगा मेडिकल अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों और उनके रिश्तेदारों की पहुंच और आवागमन में सुधार होगा तथा प्रदूशणमुक्त और साफ होगा। इस स्थान पर रोगियों का आना अब अधिक सुरक्षित होगा।
6. परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों पर प्रकाश डालने पर सामने आया कि प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
7. परियोजना से सामाज और ग्राम वासियों को जितना नुकसान झेलने की आशंका है, उसकी तुलना में उससे काफी अधिक लाभ होता दिखता है।
8. प्रभावित परिवारों सहित अधिकांश लोगों का रूख शुरू होने वाली परियोजना के प्रति सकारात्मक पाया गया।
9. सभी प्रभावित परिवार गांव में शिविर आयोजित करके जमीन के प्रकार/श्रेणी के अनुसार और प्रचलित बाजार दर पर मुआवजा भुगतान के लिए त्वरित और पारदर्शिता व्यवस्था होने की आशा करते हैं।

अनुशंसा :–

दरभंगा जिला अन्तर्गत डी0एम0सी0एच0 के टी0बी0डी0सी0 से कमला नदी के छपरार घाट तक नाला निर्माण हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर सम्यक रूप से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) करने के पश्चात यह पाया गया कि प्रभावित परिवारों सहित अधिकांश लोगों का रूख भुरू होने वाली परियोजना के प्रति सकारात्मक है। इस परियोजना को पूर्ण होने पर क्षेत्र का सम्पर्क बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा तथा अच्छे अस्पताल, उच्च शिक्षा

संस्थान और बाजार प्रतिशठान आदि सहित विभिन्न स्थानों तक पहुंच बढ़ेगी। इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

अतएव प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर का भुगतान करते हुए प्रस्तावित भू–अर्जन किया जा सकता है।

ह0/–
स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

***ज्ञापांक** 325 **/भू–अ0. दिनांक** 28/5/19*

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, बहादुरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, जल निसरन प्रमंडल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।